



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 2007/ज्येष्ठ 16, 1929

No. 122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 2007/JYAISTHA 16, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2007

दूरसंचार टैरिफ (पैतालीसवां संशोधन) आदेश, 2007

(2007 का संख्यांक 2)

सं. 301-18/2007-आर्थिक.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (पैतालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश जून, 2007 के पांचवें दिन से प्रवृत्त होगा।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में, खण्ड 3 में, 'अनुसूची I से X' शब्द और अंकों के स्थान पर 'अनुसूची I से XI' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची X के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची XI

(खण्ड 3 देखें)

दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के विनियम 16 उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए टैरिफ

| मद | टैरिफ |
|--|---|
| 1. बुनियादी सेवाओं (आईएसडीएन के अलावा) से किए गए अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण | मद 1 के सम्मुख निर्दिष्ट प्रत्येक अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 5,00 रुपए |
| 2. सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस) से किए गए अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण | मद 2 के सम्मुख निर्दिष्ट प्रत्येक अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 5,00 रुपए |

साधना दीक्षित, प्रधान सलाहकार (एफए एवं आईएफए एवं आर्थिक)

[विज्ञापन III/4/142/2007-असा.]

टिप्पणी 1: दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 9 मार्च, 1999 की अधिसूचना सं. 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किया गया :-

| संशोधन संख्या | अधिसूचना संख्या और तारीख | संशोधन संख्या | अधिसूचना संख्या और तारीख |
|---------------|--|---------------|---|
| पहला | 301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-3-1999 | 23वां | 303-8/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6-9-2002 |
| दूसरा | 301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31-5-1999 | 24वां | 306-2/2003-(आर्थिक) दिनांक 24-1-2003 |
| तीसरा | 301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31-5-1999 | 25वां | 306-2/2003-(आर्थिक) दिनांक 12-3-2003 |
| चौथा | 301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28-7-1999 | 26वां | 306-2/2003-(आर्थिक) दिनांक 27-3-2003 |
| पांचवां | 301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17-9-1999 | 27वां | 303-6/2003-(आर्थिक) दिनांक 25-4-2003 |
| छठवां | 301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-9-1999 | 28वां | 301-51/2003-(आर्थिक) दिनांक 5-11-2003 |
| सातवां | 301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-3-2000 | 29वां | 301-56/2003-(आर्थिक) दिनांक 3-12-2003 |
| आठवां | 301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31-7-2000 | 30वां | 301-4/2004-(आर्थिक) दिनांक 16-1-2004 |
| नौवां | 301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28-8-2000 | 31वां | 301-2/2004-(आर्थिक) दिनांक 7-7-2004 |
| दसवां | 306-1/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9-11-2000 | 32वां | 301-37/2004-(आर्थिक) दिनांक 7-10-2004 |
| 11वां | 310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25-1-2001 | 33वां | 301-31/2004-(आर्थिक) दिनांक 8-12-2004 |
| 12वां | 301-9/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25-1-2001 | 34वां | 310-3(1)/2003-(आर्थिक) दिनांक 11-3-2005 |
| 13वां | 303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1-5-2001 | 35वां | 310-3(1)/2003-(आर्थिक) दिनांक 31-3-2005 |
| 14वां | 306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24-5-2001 | 36वां | 312-7/2003-(आर्थिक) दिनांक 21-4-2005 |
| 15वां | 310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20-7-2001 | 37वां | 312-7/2003-(आर्थिक) दिनांक 2-5-2005 |
| 16वां | 310-5(17)/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14-8-2001 | 38वां | 312-7/2003-(आर्थिक) दिनांक 2-6-2005 |
| 17वां | 301-2/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22-1-2002 | 39वां | 310-3(1)/2003-(आर्थिक) दिनांक 8-9-2005 |
| 18वां | 303-3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-1-2002 | 40वां | 310-3(1)/2003-(आर्थिक) दिनांक 16-9-2005 |
| 19वां | 303-3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28-2-2002 | 41वां | 310-3(1)/2003-(आर्थिक) दिनांक 29-11-2005 |
| 20वां | 312-7/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14-3-2002 | 42वां | 301-34/2005-(आर्थिक) दिनांक 7-3-2006 |
| 21वां | 301-6/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13-6-2002 | 43वां | 301-2/2006-(आर्थिक) दिनांक 21-3-2006 |
| 22वां | 312-5/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4-7-2002 | 44वां | 301-34/2006-(आर्थिक) दिनांक 24-1-2007 |

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (पैतालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टेलीमार्केटिंग क्रियाकलापों के संचालन हेतु किए जाने वाले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषणों को विनियमित करने के लिए 5 जून, 2007 को दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 बनाए हैं। भारत में विद्यमान ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार, टेलीमार्केटिंग क्रियाकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल है, ऐसे सब्सक्राइबर्स को अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण करना जिन्होंने कॉल करने वाले पक्ष को ऐसे क्रियाकलापों हेतु कॉल करने के लिए अपनी सुस्पष्ट पूर्व सहमति प्रदान न की हो। बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स की यह राय है कि ऐसे अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण असुविधाजनक तथा व्यवधान पैदा करने वाले हैं क्योंकि वे उनका समय नष्ट करते हैं तथा ये उनकी गोपनीयता को भंग करने के अलावा उनके क्रियाकलापों में उस समय हस्तक्षेप भी करते हैं जिस समय ऐसी कॉलें की जाती हैं। अतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ऐसे सब्सक्राइबर्स, जो ऐसी कॉलें प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, को अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण प्राप्त होने से रोकने के लिए तथा इस संबंध में उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक व्यापक समाधान तलाशने हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स के विचार प्राप्त करने के लिए 20-11-2006 को एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की थी।

2. परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् 5 जून, 2007 को जारी दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 में एक राष्ट्रीय कॉल-न-करें रजिस्टर की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है, जिसमें ऐसे सब्सक्राइबर, जो अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण प्राप्त न करने के लिए अपने टेलीफोन नम्बरों को पंजीकृत करा सकते हैं, जिससे ऐसे सब्सक्राइबर अपनी गोपनीयता को बनाए रखने में तथा ऐसी कॉलों के कारण उन्हें होने वाली असुविधा को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। उक्त विनियम 16 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) में अपेक्षित है कि कोई सेवा प्रदाता किसी अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के प्रेषक से उस दर पर टैरिफ

प्रभारित करेगा, जो कि दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के अधीन निर्दिष्ट की गई है। दूरसंचार टैरिफ (पैतालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 के उक्त खण्ड 16 के अनुसरण में एक्सेस सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषक से ऐसे अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषणों के लिए प्रभारित किए जाने वाले टैरिफों को विनिर्दिष्ट करता है।

3. प्राधिकरण आशा करता है कि अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए टैरिफ की उच्च दर (अर्थात् प्रत्येक ऐसे संप्रेषण के लिए 500 रुपए) अधिसूचित किए जाने से उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हित की भी रक्षा होगी तथा यह दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुकर बनाएगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2007

The Telecommunication Tariff (Forty-fifth Amendment) Order, 2007

(No. 2 of 2007)

No. 301-18/2007-Eco.—In exercise of the powers conferred upon it under Sub-section (2) of Section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of Sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:—

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Forty-fifth Amendment) Order, 2007.
(2) It shall come into force on the 5th day of June, 2007.
2. In the Telecommunication Tariff Order, 1999, in clause 3, for the word and figures "Schedules I to X", the word and figures "Schedules I to XI" shall be substituted.
3. After Schedule X to the Telecommunication Tariff Order, 1999, the following Schedule shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE XI

(See clause 3)

Tariff for unsolicited commercial communication referred to in clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 16 of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007(4 of 2007).

| ITEM | TARIFF |
|--|---|
| 1. Unsolicited commercial communication made from Basic Services (Other than ISDN) | Rs. 500 for each unsolicited commercial communication referred against item 1. |
| 2. Unsolicited commercial communication made from Cellular Mobile Telecom Service (CMTS) | Rs. 500 for each unsolicited commercial communication referred against item 2." |

SADHANA DIKSHIT, Pr. Advisor (FA & IFA & Eco.)

[ADVT III/4/142/2007-Exty.]

Note 1.—The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:—

| Amendment No. | Notification No. and Date | Amendment No. | Notification No. and Date |
|---------------|--|---------------|---|
| 1st | 301-4/99-TRAI (Econ) dated 30-3-1999 | 9th | 301-8/2000-TRAI (Eco) dated 28-8-2000 |
| 2nd | 301-4/99-TRAI (Econ) dated 31-5-1999 | 10th | 306-1/99-TRAI (Eco) dated 9-11-2000 |
| 3rd | 301-4/99-TRAI (Econ) dated 31-5-1999 | 11th | 310-1(5)/TRAI-2000 dated 25-1-2001 |
| 4th | 301-4/99-TRAI (Econ) dated 28-7-1999 | 12th | 301-9/2000-TRAI (Eco) dated 25-1-2001 |
| 5th | 301-4/99-TRAI (Econ) dated 17-9-1999 | 13th | 303-4/TRAI-2001 dated 1-5-2001 |
| 6th | 301-4/99-TRAI (Econ) dated 30-9-1999 | 14th | 306-2/TRAI-2001 dated 24-5-2001 |
| 7th | 301-8/2000-TRAI (Econ) dated 30-3-2000 | 15th | 310-1(5)/TRAI-2000 dated 20-7-2001 |
| 8th | 301-8/2000-TRAI (Econ) dated 31-7-2000 | 16th | 310-5(17)/2001-TRAI (Eco) dated 14-8-2001 |

| Amendment No. | Notification No. and Date | Amendment No. | Notification No. and Date |
|---------------|--|---------------|-------------------------------------|
| 17th | 301/2/2002-TRAI (Econ) dated 22-1-2002 | 29th | 301-56/2003-Eco dated 3-12-2003 |
| 18th | 303/3/2002-TRAI (Econ) dated 30-1-2002 | 30th | 301-4/2004 (Econ) dated 16-1-2004 |
| 19th | 303/3/2002-TRAI (Econ) dated 28-2-2002 | 31st | 301-2/2004-Eco dated 7-7-2004 |
| 20th | 312-7/2001-TRAI (Econ) dated 14-3-2002 | 32nd | 301-37/2004-Eco dated 7-10-2004 |
| 21st | 301-6/2002-TRAI (Econ) dated 13-6-2002 | 33rd | 301-31/2004-Eco dated 8-12-2004 |
| 22nd | 312-5/2002-TRAI (Eco) dated 4-7-2002 | 34th | 310-3 (1)/2003-Eco dated 11-3-2005 |
| 23rd | 303/8/2002-TRAI (Econ) dated 6-9-2002 | 35th | 310-3 (1)/2003-Eco dated 31-3-2005 |
| 24th | 306-2/2003-Econ dated 24-1-2003 | 36th | 312-7/2003-Eco dated 21-4-2005 |
| 25th | 306-2/2003-Econ dated 12-3-2003 | 37th | 312-7/2003-Eco dated 2-5-2005 |
| 26th | 306-2/2003-Econ dated 27-3-2003 | 38th | 312-7/2003-Eco dated 2-6-2005 |
| 27th | 303/6/2003-TRAI (Econ) dated 25-4-2003 | 39th | 310-3 (1)/2003-Eco dated 8-9-2005 |
| 28th | 301-51/2003-Econ dated 5-11-2003 | 40th | 310-3 (1)/2003-Eco dated 16-9-2005 |
| | | 41st | 310-3 (1)/2003-Eco dated 29-11-2005 |
| | | 42nd | 301-34/2005-Eco dated 7-3-2006 |
| | | 43rd | 301-2/2006-Eco dated 21-3-2006 |
| | | 44th | 301-34/2006-Eco dated 24-1-2007 |

Note 2.—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Forty-fifth Amendment) Order, 2007.

Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory Authority of India has made the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 on 5th June, 2007 to regulate the Unsolicited Commercial Communications made for carrying on the telemarketing activities. The telemarketing activities, as per known practice prevailing in India, inter alia, include making of Unsolicited Commercial Communications to the subscribers who have not given explicit prior consent to the calling party for making calls for such activities. A large number of subscribers are of the opinion that such unsolicited commercial communications are inconvenient and a nuisance as they encroach upon their time and often interfere with their activities at the time when such calls are made besides disturbing their privacy. The Telecom Regulatory Authority of India had, therefore, initiated on 20-11-2006 a consultation process to seek the views of all stakeholders for a comprehensive solution to prevent receiving of the unsolicited commercial communications by the subscribers who do not wish to do so and to address their grievance in this regard.

2. The Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 issued, after the consultation process, on 5th June, 2007, provides for setting up of a National Do Not Call Register wherein the subscribers, who do not wish to receive the unsolicited commercial communications, can register their telephone numbers for not receiving the unsolicited commercial communications, thereby facilitating such subscribers to maintain their privacy and avoid the inconvenience caused to them due to such calls. The clause (b) of sub-regulation (3) of aforesaid regulation 16 requires that a service provider shall charge, tariff at such rate, from the sender of any unsolicited commercial communication, which is specified under the Telecommunication Tariff Order, 1999. The Telecommunication Tariff (Forty-fifth Amendment) Order, 2007 specifies the tariffs for such unsolicited commercial communications to be charged from the sender by the Access Service Providers, in pursuance of the said clause 16 of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007.

3. The Authority expects that notifying higher rate of tariff (i.e. at Rs.500 for each such communications) for unsolicited commercial communications would protect the interest of consumers and service providers and facilitate orderly growth of the telecom sector.